<u>बैठक की कार्यवाही</u>

दिनांक: 15.10.2025
स्थल : उच्च एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची
अध्यक्षता: निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड, राँची

विषय: चांसलर पोर्टल (https://jharkhanduniversities.nic.in/) के माध्यम से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ऑनलाइन नामांकन एवं पंजीकरण के प्रगति की समीक्षात्मक बैठक

दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 को निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवगण, छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष (DSW), नोडल पदाधिकारीगण एवं सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यगण के साथ Chancellor Portal के माध्यम से संचालित ऑनलाइन पंजीकरण प्रगति की समीक्षा हेतु ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई।

2. बैठक का संचालन करते हुए डॉ० विभा पांडे, उपनिदेशक -सह- नोडल पदाधिकारी, RUSA & Chancellor Portal ने सर्वप्रथम श्री सुधीर बाड़ा, IAS निदेशक, उच्च शिक्षा, श्री एन० एन० मिश्रा, वैज्ञानिक-एफ, वरिष्ठ निदेशक(आई.टी.) -सह- HOD, Education, श्री एनजी० जफनाया, वैज्ञानिक-डी, संयुक्त निदेशक(आई.टी.) -सह- प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, चांसलर पोर्टल, एन०आई०सी०, झारखण्ड राज्य केंद्र, उपस्थित सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, DSW, नोडल पदाधिकारीगण एवं सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यगण का स्वागत किया।

3. नोडल पदाधिकारी डॉ० विभा पांडे ने बताया कि माननीय कुलाधिपति-सह-राज्यपाल महोदय के स्पष्ट निदेशों के आलोक में, उच्च शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा छात्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक अभिनव पहल के रूप में Chancellor Portal कार्यरत है।

एन.आई.सी. (NIC) झारखण्ड राज्य केंद्र के तकनीकी मार्गदर्शन में निर्मित इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी नौ विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले 237 Constituent, Affiliated कॉलेजों तथा स्नातकोत्तर (PG) विभागों में स्नातक (UG) एवं स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन आवेदन, नामांकन एवं पंजीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, सरल और सुगमतापूर्वक संचालित की जा रही है।

यह एकीकृत डिजिटल व्यवस्था वर्ष 2020 से निरंतर, सुचारू एवं प्रभावी रूप से क्रियाशील है, जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

वर्तमान सत्र (UG Session 2025) में अब तक कुल 193651ऑनलाइन नामांकन सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं, तथा शेष रिक्त सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने बताया कि तीन विश्वविद्यालयों यथा- डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर एवं झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण कार्य ससमय पूर्ण कर लिया गया है।

माननीय कुलाधिपति के निदेश के आलोक में अन्य विश्वविद्यालयों की तरह रांची विश्वविद्यालय द्वारा भी Vocational courses में नामांकन इसी पोर्टल द्वारा लिया जा रहा है।

4. निदेशक, उच्च शिक्षा ने समीक्षा के दौरान पाया कि आज आयोजित बैठक के एक दिन पूर्व, तीन विश्वविद्यालयों यथा-सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका, कोल्हान वि.वि., चाईबासा तथा विनोबा भावे वि.वि. (VBU), हजारीबाग द्वारा विगत एक कार्य दिवस के दौरान ही बीस हजार तीन सौ (20300) से अधिक छात्र-

छात्राओं का पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण सुगमतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया, जो अत्यंत सराहनीय एवं प्रशंसनीय है।

यह भी पाया गया कि तीन विश्वविद्यालय यथा- रांची विश्वविद्यालय, राँची, नीलाम्बर-पीताम्बर वि.वि.(NPU), मेदिनीनगर, पलामू एवं बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल वि.वि.(BBMKU), धनबाद द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण कार्य अबतक आरम्भ भी नहीं किया गया है।

विषय की गंभीरता को रेखांकित करते हुए उन्होंने निदेश दिया कि माननीय कुलाधिपति-सह-राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार, सभी विश्वविद्यालय नामांकन के अधिकतम तीन माह के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण किया करें।

सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों को 15 नवम्बर 2025 तक शीघ्रता से ऑनलाइन पंजीकरण कार्य पूर्ण करने एवं भविष्य में भी इस टाइमलाइन को दृढ़ता से पालन करने हेतु निदेशित किया गया।

5. निदेशक, उच्च शिक्षा ने निदेश दिया कि Chancellor Portal के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण हेतु किसी भी छात्र-छात्रा को अलग से मैनुअल पंजीयन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, पंजीयन हेतु अलग से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क चांसलर पोर्टल पर लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

सभी महाविद्यालयों को निदेश दिया गया कि इसकी सघन मोनिटरिंग किया करें और सम्बंधित जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

ऑनलाइन आवेदन या नामांकन प्रक्रिया के दौरान नेटवर्क या अन्य किसी तकनीकी समस्या के कारण उत्पन्न डुप्लिकेट पेमेंट (Duplicate Payment) के मामलों में विश्वविद्यालयों को निदेश दिया गया कि वे अपने-अपने बैंक एवं अपने-अपने विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत पेमेंट गेटवे एजेंसी से साप्ताहिक अनुश्रवण कर रिफंड प्रक्रिया नियमित रूप से किया करें ताकि किसी छात्र-छात्रा को कोई असुविधा न हो।

6. यह निदेश दिया गया कि सभी कॉलेज एवं विश्वविद्यालय ऑनलाइन नामांकन एवं पंजीकरण से संबंधित सभी ऑनलाइन रिपोर्टों की हार्ड कॉपी/ प्रिंटेड प्रति अनिवार्य रूप से संधारित किया करें ताकि भविष्य में आवश्यकतानुसार इनका सन्दर्भ लिया जा सके।

सभी कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिव्यांग कोटा, खेल कोटा अथवा अन्य आरक्षण आधारित नामांकन हेतु अनुमोदन करने से पूर्व ही, सभी आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की जाय ताकि किसी भी गलत आवेदक का नामांकन न होने पाए और ना ही कोई सही आवेदक नामांकन से वंचित रहे।

7. श्री एन० एन० मिश्रा, वरिष्ठ निदेशक(आई.टी.) -सह- HOD, Education, एन०आई०सी०, झारखण्ड राज्य ने बताया कि माननीय कुलाधिपति -सह- राज्यपाल महोदय के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में इस पोर्टल को बहुत सशक्त और प्रभावी बनाया गया है ताकि झारखण्ड राज्य में उच्च शिक्षा हेतु इच्छुक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के अथवा आर्थिक रूप से कमजोर और विशेष रूप से दिव्यांग और मेधावी छात्र-छात्राओं को अधिकतम सुविधा प्रदान की जा सके।

ऑनलाइन पंजीकरण कार्य ससमय पूर्ण कर लिए जाने पर तीनों विश्वविद्यालयों के कुलसचिवगण और उनकी टीम को बधाई दिया। शेष सभी विश्वविद्यालयों को भी प्राथमिकता के आधार पर पंजीयन कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु अनुरोध किया।

8. Change Request एवं Grievance Redressal :

चांसलर पोर्टल के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अमित कुमार ने बताया कि पारदर्शिता एवं छात्रों की सुविधा हेतु Chancellor Portal पर Registration Slip, Payment Slip, सभी ऑनलाइन आवेदन एवं विभिन्न पेमेंट विवरणी आदि छात्रों के लॉगिन में आरम्भ से ही उपलब्ध कराया गया है।

- छात्रों द्वारा आवेदन करने के दौरान दिए गए अपने विवरण (Address, Personal Details, Last Passed Details आदि) में किसी अपेक्षित सुधार हेतु विकसित Change Request Module को विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों द्वारा अत्यंत उपयोगी बताया गया।
- प्रेजेंटेशन के माध्यम से रिपोर्ट में दिखाया गया कि पोर्टल पर अब तक प्राप्त कुल 9222 ऑनलाइन अनुरोधों में से 7797 (85% से अधिक) का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान किया जा चुका है और छात्रों को इसका real-time update उनके Login में उपलब्ध हो जाता है ।
- अपने विवरण (Address, Personal Details, Last Passed Details आदि) में किसी अपेक्षित सुधार हेतु सभी अनुरोध छात्र अपने लॉगिन से आरंभ करते हैं तथा सत्यापन एवं Updation की प्रक्रिया उनसे सम्बंधित विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज स्तर पर सुगमतापूर्वक ऑनलाइन कर दी जाती है।
- छात्र अपने लॉगिन से आवेदन, भुगतान रसीद और Registration Slip की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
- पत्र, ई-मेल आदि के अलावा सभी विश्वविद्यालयवार अलग-अलग WhatsApp Group विगत वर्ष 2020 से अबतक सफलतापूर्वक कार्यरत है जिसमें उच्च शिक्षा निदेशालय / विश्वविद्यालय / कॉलेज के अधिकारीगण एवं उनकी टीम के सम्बंधित कर्मचारीगण जुड़े हुए हैं। इसके माध्यम से सभी तकनीकी समस्याओं का 24 x 7 त्वरित समाधान किया जा रहा है।

9. विश्वविद्यालयवार प्रगति प्रतिवेदन

(i) जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर

• डॉ० राजेन्द्र जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2018 से ही विश्वविद्यालय में Chancellor Portal के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से प्रवेश एवं पंजीकरण कार्य हो रहा है।
• पोर्टल की सहायता से देश-विदेश से छात्राओं को प्रवेश में सुविधा प्राप्त हुई है।
• उन्होंने कहा कि Chancellor Portal के माध्यम से विश्वविद्यालय की समस्त प्रक्रिया अब पारदर्शी, समयबद्ध और डेटा-आधारित हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को अब बिना किसी व्यवधान के ऑनलाइन माध्यम से नामांकन का अवसर मिल रहा है, जो विभाग और NIC, Jharkhand State के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।

(ii) डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची

• नोडल पदाधिकारी डॉ० आई.एन. साहू ने बताया कि पंजीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और पोर्टल सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।
• उन्होंने कहा कि Chancellor Portal के उपयोग से छात्रों को न केवल आवेदन और पंजीकरण में सरलता हुई है, बल्कि दस्तावेज़ सत्यापन और डेटा मॉनिटरिंग में भी सुविधा मिली है। यह पोर्टल विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए एक डिजिटल सहायक के रूप में कार्य कर रहा है।

(iii) सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका

• नोडल पदाधिकारी डॉ० पूनम हेम्ब्रम ने Chancellor Portal से हुई सुविधाओं की सराहना करते हुए बताया कि अब तक 12296 पंजीकरण पूर्ण हो चुके हैं और शेष शीघ्र पूर्ण किए जाएंगे।

• उन्होंने कहा कि झारखण्ड राज्य के अत्यंत दूरस्थ इलाकों से आने वाले विद्यार्थियों को Chancellor Portal ने एक समान अवसर दिया है। अब छात्र बिना किसी भौतिक प्रक्रिया के विश्वविद्यालय और इसके सभी कॉलेज से निर्बाध रूप से जुड़ पा रहे हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो रही है।

(iv) झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची

• डॉ० हेमेन्द्र भगत ने बताया कि पंजीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और पोर्टल की कार्यप्रणाली सराहनीय है।
• उन्होंने कहा कि Chancellor Portal ने विश्वविद्यालय की प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय सुधार किया है। इससे विद्यार्थियों के रिकॉर्ड प्रबंधन और नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन हो गई है, जिससे छात्रों को अपने दस्तावेज़ों की स्थिति का ट्रैक रखना सहज हुआ है।

(v) कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

• नोडल पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि 13258 पंजीकरण पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा।
• विश्वविद्यालय प्रतिनिधि ने कहा कि Chancellor Portal के माध्यम से अब तक लाखों छात्र-छात्राओं को लाभ हुआ है, विशेषकर उन छात्रों को जो सीमित संसाधनों वाले इलाकों से हैं। पोर्टल की वजह से कॉलेजों को रिपोर्टिंग, भुगतान और सत्यापन में तुरंत सुविधा मिल रही है।

(vi) विनोबा भावे विश्वविद्यालय (VBU), हजारीबाग

• नोडल पदाधिकारी डॉ० इन्द्रजीत कुमार द्वारा बताया कि Migration Certificate Collection के कारण थोड़ी विलंब हुई है लेकिन शीघ्र इसे पूर्ण कर लिया जाएगा ।

• उन्होंने कहा कि Chancellor Portal के माध्यम से पंजीकरण और छात्र डाटा का डिजिटलीकरण आसान हुआ है। अब सभी कॉलेजों को एकीकृत डेटा प्राप्त हो रहा है जिससे निर्णय प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है।

(vii) नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय (NPU), मेदिनीनगर

• रजिस्ट्रार डॉ० नफीस अहमद द्वारा जानकारी दी गई कि कुछ कॉलेजों से पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति में विलंब के कारण प्रक्रिया धीमी रही लेकिन पंजीकरण प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी ।
• उन्हें सुझाव दिया गया कि भविष्य में सभी छात्रों का पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर नामांकन के तीन महीने के अन्दर कर लिया जाय एवं अंत में कॉलेजों से पंजीकरण शुल्क एकमुश्त ड्राफ्ट से ले लिया जाय। इससे कॉलेजों को अत्यधिक सुविधा होगी एवं बार बार ड्राफ्ट बनाने, ड्राफ्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करने, मिलान करवाने जैसी दुरूह प्रक्रिया से निजात मिलेगी।
• उन्होंने Chancellor Portal को झारखण्ड के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया, जिसने ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को बिना किसी बाधा के ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय से जुड़ने का अवसर दिया है।

(viii) राँची विश्वविद्यालय, राँची

• प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि आज लगभग 511 छात्रों का पंजीकरण किया जा चुका है।

• सत्र 2025 से Application Number ही Registration Number के रूप में व्यवहृत होगा। इससे विश्वविद्यालय को, कॉलेजों को और विशेषकर छात्रों को अलग अलग Application Number और Registration Number याद रखने जैसी समस्या से छुटकारा मिलेगी।

• रजिस्ट्रार डॉ. गुरुचरण साहू द्वारा बताया गया कि नामांकन अथवा पंजीकरण कार्य में कोई असुविधा नहीं है और इसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

•उन्होंने कहा कि Chancellor Portal के माध्यम से छात्रों को real-time update, Fee status और Registration Slip तुरंत प्राप्त हो जाती है। यह पहल छात्र सुविधा और प्रशासनिक पारदर्शिता दोनों में एक बड़ी उपलब्धि है।

(ix) बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (BBMKU), धनबाद

• बैठक में BBMKU के नोडल अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय में पंजीकरण प्रक्रिया आगामी 7 से 10 दिनों के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी।

• उन्होंने यह भी बताया कि Chancellor Portal के माध्यम से कार्य करना अत्यंत सहज, पारदर्शी एवं प्रभावी है।

नोडल पदाधिकारी ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि —

- पोर्टल के माध्यम से छात्रों की स्थिति (Student Tracking) का रीयल-टाइम अवलोकन संभव हुआ है।
- रिपोर्ट जेनरेशन की प्रक्रिया सरल हो गई है, जिससे प्रशासनिक निर्णय शीघ्र लिए जा पा रहे हैं।
- पोर्टल के प्रयोग से विश्वविद्यालय स्तर पर कार्य की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है।

  उन्होंने Chancellor Portal को राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक प्रभावी और दूरदर्शी पहल बताते हुए इसके टीम की प्रशंसा की।

  उन्होंने विशेष रूप से कहा कि इस पोर्टल के कारण अब धनबाद एवं आसपास के अति-पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी भी बिना किसी व्यवधान के ऑनलाइन पंजीकरण एवं प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो पा रहे हैं, जो कि झारखण्ड राज्य के डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

10. ABC ID / APAAR ID / Aadhaar eKYC की अनिवार्यता :

- VBU, हजारीबाग के नोडल अधिकारी डॉ० इन्द्रजीत ने बताया कि आधार कार्ड में नाम त्रुटिपूर्ण होने से प्रवेश में कठिनाई आ सकती है। रजिस्ट्रार, रांची विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया कि अब आवेदक आसानी से अपना नाम या अन्य विवरणी आधार कार्ड में सुधार करवा लेते हैं और भविष्य में यह उनके लिए काफी फायदेमंद रहता है ।
- वर्तमान प्रक्रिया पारदर्शी है और छात्र अपने Grievances Chancellor Portal से घर बैठे दर्ज एवं ट्रैक कर सकते हैं।
- प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर श्री एनजी० जफनाया, वैज्ञानिक-डी -सह- संयुक्त निदेशक(आई.टी.) ने बताया गया कि Chancellor Portal पर ABC ID प्रविष्टि हेतु Registration Link प्रारंभ से ही उपलब्ध है जिससे छात्रों को ABC ID बनाने में आसानी हो।

- सत्र 2025 के लिए इसे वैकल्पिक रखा गया है ताकि प्रवेश प्रक्रिया निर्बाध रूप से चले ।
- समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सत्र-2026 से ABC ID/ APAAR ID अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी एवं इससे छात्रों को विभिन्न प्रकार के अन्य सेवाएँ देने में बहुत सुविधा मिलेगी।

11. समापन

- बैठक के अंत में नोडल पदाधिकारी, RUSA & Chancellor Portal डॉ० विभा पांडे ने उपस्थित सभी पदाधिकारीगणों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि झारखण्ड सरकार के संकल्प के अनुरूप आप सभी के सहयोग एवं समन्वय से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के छात्रों को Chancellor Portal के माध्यम से अधिकतम सुविधा प्रदान की जा रही है।

सधन्यवाद, बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

19.11.25

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक :- 02/वि०1-149/2017 2144 — राँची, दिनांक-21/11/2025

प्रतिलिपि : विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/सभी विश्वविद्यालयों के उपनिदेशक (प्रभारी), उच्च शिक्षा, झारखण्ड, राँची / राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., झारखण्ड राज्य केंद्र/ श्री एन. एन. मिश्रा, वैज्ञानिक-एफ, वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.) सह HOD (Education), NIC, Jharkhand/श्री एन. जी. जफनाया, वैज्ञानिक-डी, संयुक्त तकनीकी निदेशक (आई.टी.) सह प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, चांसलर पोर्टल, NIC Jharkhand/कुलसचिव, सभी विश्वविद्यालय/ परीक्षा नियंत्रक, सभी विश्वविद्यालय/छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष एवं नोडल पदाधिकारी, चांसलर पोर्टल, सभी विश्वविद्यालय/ उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची के संबंधित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.11.25

निदेशक, उच्च शिक्षा